वेलनेस सेंटर की सुविधा बढ़ाएगा पर्यटन विभाग

उद्यमियों व संस्थानों को सेंटर खोलने पर मिलेगी कुल पूंजी की 30% सब्सिडी

लखनऊ। प्रदेश में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देने के क्रम में पर्यटन विभाग प्रदेश में वेलनेस सेंटर सुविधा को बढ़ाएगा। इसके लिए विभाग ने व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्यमियों को नए वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे लोगों को पर्यटन नीति-2022 के तहत कुल पूंजी की 30 फीसदी सब्सिडी भी मिलेगी।

पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक भारतीय उपचार पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य, अध्यात्म और पर्यटन को एक सूत्र में पिरोना है। इससे न केवल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, निवेश और स्थानीय उद्यमिता के नए द्वार भी खुलेंगे। साथ ही ये केंद्र प्रदेश के पर्यटन को एक नया आयाम भी देंगे।

मंत्री ने बताया कि योजना के तहत हर वेलनेस सेंटर में कम से कम पांच थेरेपी कक्ष होना अनिवार्य है। जहां आयुष पद्धतियों के माध्यम से विशेष उपचार और थेरेपी दी जाएंगी। वेलनेस रिज़ॉर्ट के लिए कम से कम 01 एकड़ भूमि और 20 कमरे अनिवार्य हैं। साथ ही थेरेपी और वेलनेस गतिविधियों के लिए समर्पित परिसर होना चाहिए। वेलनेस सेंटर ऐसे पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करेंगे जो शारीरिक उपचार, मानसिक शांति की तलाश में हैं।

वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर अपने आध्यात्मिक स्थलों के लिए विख्यात हैं। यहां पर वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकास किया जा सकता है। परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक पूंजी निवेश सब्सिडी या बैंक ऋण (05 करोड़ रुपये तक) पर 05 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पांच वर्षों के लिए दी जाएगी। पहले लेन-देन पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क माफी और सभी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि परिवर्तन व विकास शुल्क में पूरी छूट का भी प्रावधान है। ब्यूरो